

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश, डकैती गोहद, जिला भिण्ड म.प्र.  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 109/2015

संस्थित दिनांक-16/04/2014

फाइलिंग नंबर-230303016882014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

### वि रू द्ध

1. कुल्दीप उर्फ संतोष पुत्र श्री कपूरसिंह जाटव,  
उम्र 32 साल निवासी ग्राम सिलौली थाना बरासों  
जिला भिण्ड .....उपस्थित आरोपी
2. सियाराम उर्फ सिया पुत्र मोतीराम कुशवाह
3. भीकम जाटव पुत्र प्रभुदयाल जाटव  
.....फरार आरोपी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक  
आरोपी कुलदीप द्वारा श्री केशवसिंह गुर्जर अधिवक्ता ।

### **-:- दोषमुक्ति आ दे श -:-**

(अंतर्गत धारा-232 द0प्र0सं0 1973)

(आज दिनांक 21/09/2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. विचाराधीन आरोपी कुलदीप के विरुद्ध धारा 392/34 भा0द0सं0 सहपठित धारा-11/13 डकैती अधिनियम के तहत यह आरोप है कि उसने दिनांक-24/10/2013 दोपहर करीब 04:45 बजे जैतपुरा और बिरखडी के बीच भिण्ड ग्वालियर रोड राजमार्ग क्र0-92 पर अपने साथी भीकमसिंह व सियाराम के साथ मिलकर लूट कारित करने की घटना का सामान्य आशय बनाया और उसे अग्रसर करते हुए फरियादिया श्रीमती पूनम यादव के गले में पहने हुए मंगलसूत्र की लूट कारित की ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि, घटना दिनांक को घटनास्थल मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना क्रमांक-एफ-91.07.81 बी-21 दिनांक 19.05.1981 की अनुसूची के कॉलम क्रमांक-2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था एवं अन्य आरोपीगण भीकम व सियाराम फरार है।

3. अभियोजन के अनुसार बताई गई घटना का सार संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि दिनांक-24/10/2013 को फरियादिया श्रीमती पूनम यादव अपने पति उमेश यादव जोकि सी.आर.पी.एफ में नौकरी करता है उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर भिण्ड से ग्वालियर जा रही थी उसका पति मोटरसाइकिल चला रहा था। तब रास्ते में जब वे ग्राम जैतपुरा व बिरखडी गांव के बीच भिण्ड ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र०-92 पर आये तो पीछे मेहगांव तरफ से एक काले रंग की पल्सर मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आये और पीछे से चलती हुई मोटरसाइकिल पर पूनम यादव के गले में झपटटा मारकर उसका मंगलसूत्र छीना, पूनम ने अपना मंगलसूत्र पकड़ लिया जिससे वह टूट गया और पूनम के हाथ में मंगलसूत्र का पेण्डल, व सोने की आधी जंजीर व तीन सोने के मोती रह गये, शेष आधी सोने की जंजीर व 9 सोने के मोती और काले काले मोती लूटकर ले गये जो करीब 8 ग्राम बजन के होंगे ।
4. घटना के बाद श्रीमती पूनम यादव अपने पति उमेश यादव के साथ थाना गोहद चौराहा पर गयी, जहां उसके पति उमेश ने घटना की रिपोर्ट लिखाते हुए लूटे गये सामान और लूट करने वालों को सामने आने पर पहचान लेना बताते हुए लुटेरों की उम्र करीब 19 से 25 साल की दरम्यान की बतायी । उमेश की रिपोर्ट पर से थाना गोहद चौराहा में अपराध क्रमांक-248/2013 धारा-392, 34 भा.द.वि. एवं 11, 13 डकैती अधिनियम पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.-05 कायम की गयी । विवेचना उपरांत अभियोगपत्र इस न्यायालय में विधिवत निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया ।
5. अभियोगपत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण एवं विचाराधीन आरोपी कुलदीप के विरुद्ध धारा-392/34 भा.द.वि. एवं 11, 13 डकैती अधिनियम के आरोप की रचना की जाकर आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया । विचारण किया गया । मामले में विचाराधीन आरोपी कुलदीप के विरुद्ध साक्ष्य के अभाव का बिन्दु विद्यमान हो जाने से और अभियोजन की साक्ष्य लेने, विचाराधीन आरोपी कुलदीप की धारा-313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षा करने और उन्हें सुनने के पश्चात इस न्यायालय का ऐसा विचार है कि मामले में आरोपी कुलदीप के विरुद्ध संबद्ध विषय के बारे में साक्ष्य नहीं आयी है, इसलिये धारा-232 द.प्र.सं. 1973 के तहत यह दोषमुक्ति का आदेश पारित किया जा रहा है ।
6. परीक्षित साक्षियों में से प्रकरण के सर्वाधिक महत्व के साक्षी अभियोजन कथानक अनुसार उमेश यादव एवं श्रीमती पूनम यादव हैं । श्रीमती पूनम अ.सा.-01 और उमेश अ०सा०-3 के रूप में परीक्षित हुए हैं, जिन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में कथन दिनांक-31/07/2014 को घटना पिछली साल अक्टूबर माह अर्थात 24/10/2013 की बताते हुए यह कहा है कि वे मोटरसाइकिल से भिण्ड से ग्वालियर जा रहे थे,

पूनम पीछे बैठी थी, उमेश मोटरसाइकिल चला रहा था और हैलमेट पहने था, गोहद बिरखडी के बीच में पीछे से एक मोटरसाइकिल से आकर लुटेरों ने पूनम के गले से चैन व मंगलसूत्र जो सोने का था, उसे खींचा था, पूनम ने चैन को पकड़ लिया था, जिससे चैन का टुकड़ा हाथ में आ गया था। और मोटरसाइकिल रोकी थी, तबतक लूट करने वाले आगे निकल गये थे।

7. उमेश अ.सा.0-3 ने थाना गोहद चौराहा पर प्र.पी.-5 की एफ आई आर लेखबद्ध कराने और घटनास्थल पर पुलिस द्वारा पूछताछ करना कहा है, किन्तु वह एफ आई आर में लूट करने वालों को और माल को पहचानने वाली बात को लिखाने से इंकार करता है जिससे आरोपी कुलदीप के विरुद्ध प्र.पी.-5 की एफ आई आर लिखने वाले निरीक्षक गिरीश कवरेती अ.सा.-7 के अभिसाक्ष्य से उसे विचाराधीन आरोपी के विरुद्ध प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। एवं प्र.पी.-6 का नक्शामौका उसकी निशादेही पर बनाने से इंकार करते हुए दोनों ही साक्षियों ने इस बात से इंकार किया है कि उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट व बयान में लूट करने वालों को सामने आने पर पहचान लेने की बात बतायी थी। अर्थात् लूट करने वालों की पहचान करने और सामान की पहचान करने से भी उन्होंने इंकार करते हुए प्र.पी.-2 व 7 की शिनाख्ती की कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया है। पूनम ने नायब तहसीलदार वृत्त ऊमरी द्वारा जेल में आरोपियों की पहचान कराना तो कहा है किन्तु उसका यह कहना है कि वह उस समय घबराई हुई थी और उसकी चीज गयी थी इसलिये उसने पहचाना होगा, उसे ध्यान नहीं है। पुलिस करने वालों ने उससे यह कहा था कि लूट करने वाले यहीं लोग हैं जिनसे पुलिस ने सामान बरामद किया था। लेकिन उसे लूटा गया सामान न तो पुलिस ने ही सरपंच ने दिखाया था। सरपंच की प्र.पी.-3 की माल शिनाख्ती की कार्यवाही का भी वह खण्डन करती है और उमेश आरोपियों की शिनाख्ती की कार्यवाही प्र.पी.-02 का खण्डन करता है। पूनम ने प्र.पी.-1 का कथन और उमेश ने प्र.पी.-7 का कथन भी पुलिस को देने से इंकार किया है। इस तरह से घटना के सर्वाधिक महत्व के उक्त दोनों साक्षी आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं करते हैं, ना आरोपी कुलदीप को पहचाना है, ना लूट का कोई सामान पहचानना कहा है। ऐसे में नायब तहसीलदार आर.आर. रावत अ.सा.-4 के द्वारा जिला जेल भिण्ड में आरोपियों की शिनाख्ती की प्र.पी.-2 की कार्यवाही समर्थन के अभाव में प्रमाणित नहीं होती है तथा नायब तहसीलदार द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि आरोपी कुलदीप की पहचान सही नहीं हुई थी। और पूनम से माल शिनाख्ती कराने वाले सरपंच आनंद बिहारी शर्मा अ.सा.-6 के अभिसाक्ष्य से उक्त स्थिति में प्र.पी.-3 का शिनाख्ती पंचनामा प्रमाणित नहीं होता है।

8. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त सरपंच अ.सा.0-6 के अभिसाक्ष्य में यह भी न्यायालय द्वारा उल्लेखित किया है कि साक्षी का दांया हाथ बाजू से कटा हुआ है और वह बांये हाथ से धीरे धीरे हस्ताक्षर कर पाना कहता है। प्र.पी.-3 की लिखापट्टी पंचायत सचिव

से कराना बताता है जबकि प्र.पी.-3 में ऐसी कोई टीप नहीं है। ऐसी स्थिति में माताप्रसाद सोनी अ.सा.-8 से जब जंजीर के टुकड़े और मोतियों की जो तोल कराते हुए प्र.पी.-15 की तौल रसीद प्राप्त की है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है।

9. अन्य साक्षियों में कैलाश अ.सा.-2 जोकि इस बात का साक्षी था कि उसे घटना के बाद आरोपी कुलदीप मेहगांव में मिला था जिसने उसे बिरखडी के पास एक महिला से मंगलसूत्र लूटने वाली बात, छीमका के पास से एक महिला से कान के बाला लूटने की बात बतायी थी जिससे भी उक्त साक्षी पूर्णतः इंकारी करते हुए प्र.पी.-4 का कथन देने से इंकार करता है। जिससे भी आरोप कतई प्रमाणित नहीं होता है।
10. प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार किए जाने पर दिये गये मेमोरेण्डम कथन और उसके आधार पर की गयी जब्ती के तहत ही अभियोजित किया है। कुलदीप से प्र.पी.-14 मुताबिक मंगलसूत्र की लर का टुकड़ा सोने जैसी धातु का जिसकी लंबाई करीब 16 से.मी. कीमती करीब 6 हजार रुपये जब्त करना बताया गया है, उसकी गिरफ्तारी प्र. पी.-16 मुताबिक की जाना और प्र.पी.-14 की जब्ती प्र.पी.-17 के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर करना बतायी गयी है। इन तीनों ही दस्तावेजों के पंच साक्षी गिर्राज शर्मा अ.सा.-5 को स्वतंत्र साक्षी के रूप में विवेचना में शामिल किया गया था, जिसने अपने न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में प्र.पी.-14 की जब्ती का कोई समर्थन नहीं किया है। और इस संबंध में केवल विवेचक ए.एस.आई. सुरेश दत्त मिश्रा अ.सा.-09 का ही अभिसाक्ष्य है।
11. ए.एस.आई. सुरेशदत्त मिश्रा अ.सा.-9 ने अपने अभिसाक्ष्य में प्र.पी.-16 अनुसार आरोपी कुलदीप को दि0-6/2/14 को गिरफ्तार करना, उसके दो दिन बाद 8/2/14 को धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत उसका मेमोरेण्डम कथन लेना और प्र.पी.-14 अनुसार आरोपी के पेश करने पर सोने की लर जब्त करना बताया है। जो जब्ती आरोपी के द्वारा अपने घर से बक्से में से निकालकर करायी जाना कहा है किन्तु विवेचक उक्त कार्यवाही के लिए आरोपी के घर गया था, इस संबंध में कोई रोजनामचासानहा पेश नहीं किया है। जिसके आधार पर प्र.पी.-14, 16 व 17 की कार्यवाही समर्थन के अभाव में विवेचक की अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं हो सकती है और प्र.पी.-19 अनुसार आरोपी कुलदीप के पूर्वतन आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर अभियोजन के पक्ष में कोई उपधारणा नहीं बनायी जा सकती है, क्योंकि जो आपराधिक रिकॉर्ड बताया गया, उसमें दोषसिद्धी का कोई उल्लेख नहीं किया है। ऐसे में आरोपी कुलदीप का प्र.पी.-5 अनुसार बतायी गयी लूट की घटना में संलिप्त होने की साक्ष्य न होने से वह दोषमुक्ति का पात्र है।
12. फलतः प्रमाण के अभाव में विचाराधीन आरोपी कुलदीप पुत्र कपूरसिंह जाटव, को धारा-232 द.प्र.सं. 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत



विरचित आरोप धारा-392/34 भा.द.वि.सहपठित धारा-11/13 एम.पी. डी.बी.पी.के. एक्ट 1981 के आरोपों से उन्हें दोषमुक्त किया जाता है ।

13. विचाराधीन आरोपी कुलदीप के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं ।

14. प्रकरण में सहअभियुक्त भीकम व सियाराम पूर्व से फरार हैं इसलिये संपत्ति व अभिलेख सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे ।

15. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये ।

दिनांक: 21/09/2016

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में पारित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश, डकैती  
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)  
विशेष न्यायाधीश, डकैती  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)